भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2719
उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2024

दूरसंचार अधिनियम, 2023 में संशोधन

2719. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 को निरस्त करने अथवा इसके संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षोपाय लागू करने हेतु इसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है;
(ख) सरकार द्वारा दूरसंचार अधिनियम की धारा 20 और दूरसंचार निलंबन नियम, 2017 के अंतर्गत जारी किए गए सभी आदेशों के अभिलेखों का रख-रखाव और इनका प्रकाशन करके पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार का इंटरनेट बंद करने संबंधी आदेशों और उनके द्वारा प्रवृत्त कानूनों के अनुपालन का ब्यौरा देते हुए तिमाही अनुपालन रिपोर्ट जारी करने का विचार है;
(घ) क्या सरकार ने देश में इंटरनेट बंद होने के आर्थिक, सामाजिक और समुदाय-व्यापी प्रभावों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है; और
(ड.) देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण पर बार-बार इंटरनेट बंद करने के परिणामों का आकलन करने और इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) जी, नहीं, दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 में इस धारा के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा के प्रावधान किए गए है।

(ख) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और राज्य अपने कानून प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से ऐसे अपराध की रोकथाम करने, उनका पता लगाने और उनकी जांच करने के लिए उत्तरदायी हैं। संबंधित राज्य सरकारों को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 (2) के तहत जारी दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 में निहित प्रावधानों के तहत राज्य या उसके हिस्से में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवा के अस्थायी निलंबन के आदेश जारी करने का अधिकार है। नियमों में अपेक्षा की गई है कि आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी ऐसे आदेशों को प्रकाशित करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। नागरिकों की भलाई के लिए इंटरनेट के योगदान और असामाजिक तत्वों द्वारा किये जाने वाले ऐसे दुरुपयोग, जिसके लिए स्थानीय (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार) प्राधिकरणों द्वारा आकलन के आधार पर नियमानुसार अस्थायी शटडाउन जरूरी हो, को रोके जाने के बीच संतुलन होना चाहिए।

*****